न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 02/19 दिनांकः—21.08.2019

1. हेमाराम पुत्र बिशनाराम(मृत)
   1/1. मदनलाल पुत्र हेमाराम
   1/2. ग्यारसी देवी पुत्री हेमाराम
   1/3. कमला पुत्री हेमाराम
   1/4. गीता पुत्री हेमाराम
   1/5. सुमित्रा पुत्री हेमाराम
   1/6. सुभिता पुत्री हेमाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम ठेडी तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. खुमाराम पुत्र बिशना
2. भूराराम पुत्र बिशना
3. रामु पुत्र बिशना समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम ठेडी तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
4. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी।
5. पटवारी पटवार हल्का पालास तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 7.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.41 हैक्टेयर वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित है।

विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से हेमाराम के स्थान पर तेजाराम अंकित हो गया जो गलत होने से प्रार्थीगण उनमें संशोधन करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण के समस्त लोक दस्तावेजो व प्राईवेट दस्तावेज में प्रार्थीगण के पिता तथा उसके स्वयं का नाम शुरू से ही हेमाराम चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01ता03 की अन्य पैतृक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 184, 183 व 298 वाके ग्राम ठेडी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम हेमाराम अंकित है। तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादी में प्रार्थी का नाम हेमाराम ही दर्ज है।

Scanned by CamScanner

कृषि भूमियों के विरासत गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को असीम हानि हो जिसकी क्षति पुर्ति अन्यथा संभव नही होने से प्रार्थी की उक्त पैतृक कृषि भूमि में का सही नाम करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी ने जाहिर किया कि प्रार्थी का नाम संशोधन किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नामान्तरकरण संख्या 66, जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 ग्राम जुगलपुरा, जमाबंदी सम्वत 2074–77 ग्राम ठेडी, हेमाराम का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बिजली का बिल, भामाशाह कार्ड, हेमाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत ठेडी द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट दिनांकित 09.07.2019 एवं तहसीलदार रामगढ शेखावाटी की सहमति के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम हेमाराम ही है, तथा राजस्व रिकॉड में सहवन से हेमाराम की जगह तेजा दर्ज हो गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य है।

–:आदेशः–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 7.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.41 हैक्टेयर वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी में जरियें संशोधन प्रार्थीगण के पिता का नाम तेजा पुत्र बिशना के स्थान पर हेमाराम पुत्र बिशना दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner